

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

(जी-3, राजमहल पैलेस रेजिडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर-302013)
(टैलीफैक्स-0141-2222403, ई-मेल-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई-I/डी.एल.बी./21/12159

दिनांक:- 16/12/21

-:आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
01	सुश्री राजल राव	राजस्व निरीक्षक	बाली	जयपुर ग्रेटर
02.	श्री अनिरुद्ध सिंह राजपुरोहित	सफाई निरीक्षक	बालोतरा	पिण्डवाडा
03.	श्री केसरलाल वर्मा	सफाई निरीक्षक	एपीओ निदेशालय	उनियारा
04.	श्री प्रकाश चन्द्र	सफाई निरीक्षक-द्वितीय	राजगढ	मुकुन्दगढ
05.	श्री मनोज शर्मा	वरिष्ठ सहायक	एपीओ निदेशालय (स्थानान्तरणाधीन)	सीकरी
06.	श्री राहुल कौशल	कनिष्ठ सहायक	एपीओ निदेशालय	गंगापुर सिटी
07.	श्री निलेश जोशी	कनिष्ठ सहायक	फतेहपुर	चूरु
08.	श्री विकास देव	कनिष्ठ सहायक	रतननगर	चुरू
09.	श्री कुन्दन कुमार	फायरमैन	चिडावा	मुकुन्दगढ
10.	श्री किशन लाल भट्ट	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	गंगापुरसिटी	उदयपुर
11.	श्रीमती माया पत्नि श्री आनन्द	सफाई कर्मचारी	राजलदेसर	सरदारशहर
12.	श्रीमती रेखा वर्मा पत्नि श्री नरेश कुमार	सफाई कर्मचारी	गंगापुरसिटी	अजमेर
13.	श्री सचिन पुत्र श्री रामनिवास	सफाई कर्मचारी	जोधपुर	अजमेर
14.	श्री कुशालराम पुत्र श्री गुमानराम	सफाई कर्मचारी	ग्रेटर जयपुर	भोपालगढ
15.	श्रीमती सुनीता पत्नि श्री दीपक	सफाई कर्मचारी	कपासन	चित्तौडगढ
16.	श्री नरेन्द्र कुमार	सफाई कर्मचारी	शाहपुरा, (भीलवाडा)	भीलवाडा
17.	श्री बादल कुमार	सफाई कर्मचारी	जहाजपुर	भीलवाडा

उक्त कार्मिक अपनी उपस्थिति सम्बन्धित निकाय में देवें।

नोट:-

- स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावे अन्यथा आपकी व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
- स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हे वेतन भत्ते का भुगतान किया जावे।
- यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविंदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
- यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
- रिक्त पद होने पर ही सम्बन्धित कर्मचारी को ज्वाइन करावे।
- कार्मिक को अपने मूल पद पर ही कार्यग्रहण करावे।
- माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश होने पर उक्त स्थानान्तरण लागू नहीं होंगे। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक मन्दी)

क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई-I/डी.एल.बी./21/12160-12211 दिनांक:- 16/12/21

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, स्वा.शा. विभाग राज. जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिकाारी, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
6. संबधित कर्मचारी श्री।
7. सुरक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)